रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042024-253895 CG-DL-E-27042024-253895

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1723] No. 1723]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 26, 2024/वैशाख 6, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 26, 2024/VAISAKHA 6, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2024

का.आ. 1815(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष भुमि अर्जन अधिकारी, डीएम्स ऑफिस, पूर्व मेदिनीपुर, को पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व मेदिनीपुर जिले मे नीचे दी गई अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग – ११६ बी के ०.००० कि.मी. से २५.५०० कि.मी. और ४१.००० कि. मी. से ६४.७०० कि.मी. तक में 2-लेन पक्के शोल्डर्स का पुनर्वास एवं उन्नयन करने के संम्बध में उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

2744 GI/2024 (1)

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पुर्व मेदिनीपुर जिले मे नीचे दी गई अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग–११६ बी के ०.००० कि.मी. से २५.५०० कि.मी तक में 2-लेन पक्के शोल्डर्स का पुनर्वास एवं उन्नयन करने के संम्बध में भूमि अधिग्रहण हेतु।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	विषेश भूमि अर्जन अधिकारी, पुर्व मेदिनीपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH116B के कि.मी 0 से कि.मी 25.5 तक	पश्चिम बंगाल	पुरबा मेदिनीपुर	नंदीग्राम-III	1 कालिकाखली (जे.एल. नं. 91)

[फा. सं. RW/NH-12014/9/2016/WB/P-3]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2024

S.O. 1815(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the Special Land Acquisition Officer, DM's Office, Purba Medinipur as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of "Rehabilitation and upgradation to 2-lane with paved shoulders configuration of Nandakumar-Contai—Chandaneswar road from km 0.000 to km 25.500 and from km 41.000 to km. 64.700 of NH 116B on EPC mode" as specified in the schedule given below.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of Rehabilitation and upgradation to 2-lane with paved shoulders configuration of Nandakumar-Contai—Chandaneswar road from km 0.000 to km 25.500 of NH-116B in the District of Purba Medinipur, in the State of West Bengal.

Sl. No.	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Spl.LAO, Purba Medinipur, DM Office	NH116B KM 0 TO KM 25.5	WEST BENGAL	PURBA MEDINIPUR	Nandigram -III	Kalikakhali (J. L. No. 91)

[F. No. RW/NH-12014/9/2016/WB/P-3]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.